न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / 07 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये अर्पित अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक,कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर(प्रथम)

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री भाव सिंह पुत्र भूरी सिंह, जाट निवासी नगला भूरीया सौंख
2—श्री महेश पुत्र मोहन सिंह जाट, निवासी नगला जट्टा इकरन भरतपुर
3—राज गैस ऐजन्सी काकाजी कोठी के पास भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आर्डर 2000

निर्णय **दिनांक 19.11.2019**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट विरुद्व अप्रार्थी पेश किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 6—10—2018 को घरेलू गैस सिलेण्डरों में से गैस निकालने की सूचना पर बाबू पहलवान के मकान के पास वाडे में माल गोदाम रोड से नई मण्डी की ओर पुलिया के पास स्थित नहर के किनारे स्थान पर पहुंचे। मौके पर पुलिस हैड कांस्टेबिल राकेश भान, कानि0 इन्द्रपाल राधेलाल उपस्थित मिले। एक टैम्पू नीले रंग का जिसका नम्बर आरजे 05—जीबी 3717 मौजूद था व हॉकर भाव सिंह पुत्र भूरी सिहं जाति जाट निवासी नगला भूरीया सौंख उपस्थित मिला उसके साथ हैल्पर श्री महेश पुत्र मोहन सिंह जाति निवासी नगला जट्टा इकरन उपस्थित था। मौके पर प्रथम दृष्टया अवलोकन कर पाया कि टैम्पों से सिलेण्डरों को उतार कर वाडे में जमीन पर रखा गया था। सात गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा भराव क्षमता) पर सील चढी हुई पाई परन्तु सभी पर एक कट सील में लगा हुआ था, पूरी तरह से खाली तीन सिलेण्डर मिले। 17 सिलेण्डरों पर से सील हटी हुई मिली व उन सभी पर एक स्थान पर सील पर कट लगा हुआ था। पूछताछ करने पर भाव सिंह ने बताया कि वह राज गैस बीपीसीलएल का हॉकर हूँ, राज गैस गोदाम से 30 कैस मीमो लेकर निकला था। मौके पर भाव सिंह के पास एक पेचकस, एक लोहे का वंसुरीनुमा गैस स्थानान्तरण का यंत्र व एक मार्कर भी पाया गया। मौके पर कुल 27 घरेलू गैस सिलेण्डर के मौजूद मिले तथा उनका भार प्रमाणित साल्टर स्केल से करने पर पर पाया कि 27 में से 3 पूर्ण खाली 04, सिलेण्डरों में भार अनुसेम सीमा से कम पाया गया, तथा 20 सिलेण्डरों में मानक भार के अनुरुप पाया गया। मौके पर गेस एजेन्सी से 26 सिलेण्डर लाना व बाडे में 27 सिलेण्डर मिलना , सभी सीलों पर कट होना भरे सिलेण्डरों की सील कटी होना व 17 की सील हटी होना, मौके पर 30 कैश मीमों में से केवल 2 की ही डिलीवरी होना

परन्तु खाली सिलेण्डर 3 मिलना व लोहे की बांसुरीनुमा गैस स्थानान्तरण का यंत्र पेचकस व मार्कर का मिलना गैस स्थानान्तरण का अवैध कृत्य करना स्पट रुप से प्रकट हुआ । इस प्रकार अप्राथी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का घरेलू गैस का अवैध स्थानान्तरण करने पर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3व4 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके से जप्त शुदा 27 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा भराव क्षमता) मय एलपीजी 325.700 किग्रा, टैम्पू आरजे 05–जीबी 3717, बांसुरीनुमा लोहे का यंत्र, पेचकस व मार्कर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 (बी) ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया। जो शामिल मिसिल किया गया। अप्रार्थी न.1व2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। कई बार आबाज लगवाई गई अप्रार्थी न.1व2 या उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी न.3 के उपस्थित अभिभाषक एवं पैरोकार रसद पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि दिनांक 6–10–2018 को घरेलू गैस सिलेण्डरों में से गैस निकालने की पुलिस से मिली सूचना पर बाबू पहलवान के मकान के पास वाडे में माल गोदाम रोड से नई मण्डी की ओर पुलिया के पास स्थित नहर के किनारे स्थान बाड़े पर पहुंच कर जॉच की गई। मौके पर अप्रार्थी राज गैस बीपीसीलएल का हॉकर राज गैस गोदाम से 30 कैस मीमो लेकर निकला था। मौके पर भाव सिंह के पास एक पेचकस, एक लोहे का वंसुरीनुमा गैस स्थानान्तरण का यंत्र व एक मार्कर मिला। मौके पर कुल 27 घरेलू गैस सिलेण्डर के मौजूद मिले तथा उनका भार प्रमाणित साल्टर स्केल से करने पर पर पाया कि 27 में से 3 पूर्ण खाली, 04 सिलेण्डरों में भार अनुसेम सीमा से कम पाया गया, तथा 20 सिलेण्डरों में मानक भार के अनुरुप पाया गया। मौके पर गेस एजेन्सी से 26 सिलेण्डर लाना व बाड़े में 27 सिलेण्डर मिलना , सभी सीलों पर कट होना भरे सिलेण्डरों की सील कटी होना व 17 की सील हटी होना, मौके पर 30 कैश मीमों में से केवल 2 की ही डिलीवरी होना परन्तु खाली सिलेण्डर 3 मिलना व लोहे की बांसुरीनुमा गैस स्थानान्तरण का यंत्र पेचकस व मार्कर का मिलना गैस स्थानान्तरण का अवैध कृत्य करना स्पट रुप से लिप्त पाये गये । इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3व4 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के विरुद्व थाना कोतावाली भरतपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पैरोकार सरकार ने मौके से जप्त शुदा 27 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 भराव क्षमता) मय एलपीजी 325.700 किग्रा, टैम्पू आरजे 05–जीबी 3717, बांसुरीनुमा लोहे का यंत्र, पेचकस व मार्कर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में अपने जबाब में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि राज गेस सर्विस लगभग 30 वर्षों से से कार्य कर रही अपने ग्राहकों के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिबद्व रही है तथा किसी भी नियम अथवा आदेश का कोई उल्लघंन अप्रार्थी गैस ऐजेन्सी द्वारा नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि गैस एजेन्सी द्वारा पूर्ण रुप से सही हालत में उपभोक्तओं को सप्लाई करने हेतु सिलेण्डर हॉकर भाव सिंह को सौंपे गये थे जिसने अपने हेल्पर की मद्द से चोरी व लालच की नियत से उक्त सिलेण्डढरों के साथ छेडछाड की जिसके लिये वह स्वयं भाव सिंह व हेल्पर जिम्मेदार है, कोई अन्य शख्स उनके द्वारा किये गये कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनका यह भी कहना है कि पुलिस द्वारा जप्तशुदा टैम्पू व 26 सिलेण्डरों को पूर्व में अप्रार्थी संख्या 3 की सुपुर्दगी में दिये जा चुके हैं। उक्त गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आते हैं जिनका पब्लिक में वितरण किया जाता है। यदि उक्त सिलेण्डरों को राजसात किया गया तो पब्लिक को की जाने वाली आपूर्ति बाधित होगी तथा जप्तशुदा टेम्पू का प्रार्थी की फर्म रजिस्टर्ड मालिक है तथा उक्त अैम्पू वक्त घटना बाडे के पास खडा होना बताया गया है लेकिन उक्त टेम्पू का कोई उपयोग अवैध भरण व अवैध भण्डारण के लिए नहीं किया गया है। इस लिए उक्त टैम्पू का राजसात करना न्यायहित में नही है। अन्त में योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में दोषसिद्व व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे तथा जप्त शुदा गैस सिलेण्डर एवं टेम्पू को अप्रार्थी संख्या 3 को दिया जावे। अन्य जप्त शुदा सामान राजसात किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 3 को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कथनों पर मनन किया। प्रवर्तन निरीक्षक रसद द्वारा दिनांक 6.10.2018 को दौराने जॉच मौके पर हॉकर भाव सिंह के पास एक पेचकस, एक लोहे का वंसुरीनुमा गैस स्थानान्तरण का यंत्र व एक मार्कर पाया गया है, मौके पर कुल 27 घरेलू गैस सिलेण्डर मौजूद मिले तथा उनका भार प्रमाणित साल्टर स्केल से करने पर पर पाया कि 27 में से 3 पूर्ण खाली, सिलेण्डरों में भार अनुसेम सीमा से कम पाया गया, तथा 20 सिलेण्डरों में मानक भार के अनुरुप पाया गया। मौके पर गेस एजेन्सी से 26 सिलेण्डर लाना व बाडे में 27 सिलेण्डर मिलना , सभी सीलों पर कट होना भरे, सिलेण्डरों की सील कटी होना व 17 की सील हटी होना, एवं मौके पर 30 कैश मीमों में से केवल 2 की ही डिलीवरी होना परन्तु खाली सिनेण्डर 3 मिलना व लोहे की बांसुरीनुमा गैस स्थानान्तरण का यंत्र पेचकस व मार्कर का मिलना गैस स्थानान्तरण का अवैध कृत्य करना स्पष्ट रुप से प्रकट हुआ । अप्रार्थी संख्या–3 गैस ऐजन्सी भी अपने हॉकर एवं उसके हैल्पर द्वारा किये गये उक्त कृत्य संलिप्त होना बताना तथा उनके खिलाफ कार्यवाही करना यह दर्शाता है कि रसद निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही सही की गई है। अप्रार्थी. के खिलाफ थाना कोतवाली में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस प्रकार अप्रार्थी0 द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों में से घरेलू गैस का अवैध स्थानान्तरण करने का कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का

विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3व4 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। किन्तु नरम रूख अपनाते हुए टैम्पू आरजे 05–जीबी 3717 को रिलीज किया जाना तथा मौके से जप्त शुदा 27 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा भराव क्षमता) मय एलपीजी 325.700 किग्रा, बांसुरीनुमा लोहे का यंत्र, पेचकस व मार्कर को राजसात(Confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके से जप्त शुदा 27 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा भराव क्षमता) मय एलपीजी 325.700 किग्रा, बांसुरीनुमा लोहे का यंत्र, पेचकस व मार्कर को राजसात(Confiscate) किया जाता है तथा टैम्पू आरजे 05–जीबी 3717 को (सुपुर्दगी से वागुजार) रिलीज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86(23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राज्य कोष में जमा कराई जावे, तथा अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निणर्य आज दिनांक 19–11–2019 को सुनाया गया।

(डॉ.जोगाराम)
जिला कलक्टर,
भरतपुर